# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 179/2021

1. मुबीना पत्नि असलम
2. सहरूना पत्नि साकिर जाति मेव निवासी ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

प्रार्थीगण

बनाम

रूजदार पुत्र चाँद खाँ जाति मेव निवासी ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थीगण
2. श्री अलताफ हुसैन वकील अप्रार्थी

दिनांक :– 08/04/2022

## निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 776/2.80 हैक्टर बांके ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी में स्थित हैं। आराजी मुत0 पर प्रार्थीगण 3/8–3/8 हिस्से की और तरतीवी प्रतिवादीगण 1/16–1/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। मौके पर प्रार्थीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है। जो अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी झगडालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो लठ्ठ व ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजी में मजाहमत व मदाखलत करता रहता है तथा जबरन कब्जा नाजायज कर निर्माण कार्य करने की फिराक में है। अप्रार्थी ने दिनांक 27/12/2021 को प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को ऐलानिया धमकी दी है यदि अप्रार्थी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भव ना हो सकेगे। विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। विनाय मुखास्मत दिनांक 27/12/2021 को कब्जा नाजायज करने की धमकी से अदालत हाजा पैदा हुई। प्राईमा फैसाई

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

केस सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थीगण में मजाहमत व मदाखलत ना करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के खिलाफ अन्य लोगो के बहकावे में आकर बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है अप्रार्थी रूजदार की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 786/0.19 प्रार्थीगण की आराजी के पास स्थित है मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की आराजी के मध्य मेड बनी हुई है। जो काफी पुरानी है और अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी के कुछ हिस्से में रिहायश व गैतवाडिया बना रखे है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी विवादित आराजी की कभी कोई पैमाईश नहीं कराई गई। जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी की प्रार्थीगण की आराजी में मदाखलत व मजाहमत करता है। अप्रार्थी द्वारा पत्थर व बजरी वगेराह अपनी खातेदारी की आराजी में डाल रखे है। इस प्रकार अप्रार्थी का प्रार्थीगण की आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है । इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी को कानूनन पाबन्द करा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी झगडालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो लठ्ठ व ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजी में मजाहमत व मदाखलत करता रहता है तथा जबरन कब्जा नाजायज कर निर्माण कार्य करने की फिराक में है। अप्रार्थी रूजदार की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 786/0.19 प्रार्थीगण की आराजी के पास स्थित है। अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा पत्थर व बजरी वगेराह अपनी खातेदारी की आराजी में डाल रखे है। इससे निर्माण की शंका पूर्ण प्रकट होती है। अतः अप्रार्थी को आराजी पर निर्माण न करने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी का प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध सरोकार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।

**2.सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा पत्थर व बजरी वगेराह अपनी खातेदारी की आराजी में डाल रखे है। इससे निर्माण की शंका पूर्ण प्रकट होती है। जिसका निर्णय पैमाईश के माध्यम से भविष्य में होगा। उस से पूर्व अगर अप्रार्थी आराजी पर निर्माण कर लेते है तो प्रार्थीगण को ही अत्यधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।

**3.अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी की तुलना में प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 776/2.80 है0 बांके ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी पर ताफैसला मुकदमा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)